21/9/22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थियागण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 146/2017 एवं प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. संख्या 41/2017 बउनवान रानीबाई बनाम मूलचन्द वगैरह उभयपक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति होने से हिस्से की घोषणा एवं खाता विभाजन हेतु प्रार्थियागण ने पेश किया जिसमें प्रार्थियागण एवं प्रति0/अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त आराजी पैतृक सम्पत्ति होना स्वीकार कर सभी सहभागीदारान का 1/5 हिस्सा स्वीकार करते हुए प्रत्येक के 1/5 हिस्से की हद तक वादग्रस्त भूमि का विभाजन किये जाने की डिक्री पारित करने हेतु दिनांक 27.12.2021 को राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जो दिनांक 24.02.2022 को न्यायालय द्वारा तस्दीक भी किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.ए. में सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की हुई है कि भूमि को बिना विभाजन हुए तथा बिना हिस्से निश्चित हुए उक्त आराजी को अप्रार्थी क्रम 1 बेचान, हस्तांतरण व खुर्द बुर्द नहीं करे। उक्त स्थगन आदेश प्रभावी होने के बाद भी अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने हिस्से की आराजीयात का बेचान कर दिया तथा अजनबी क्रेता आराजीयात पर कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित अवैध हस्तांतरण प्रपत्रों को शून्य घोषित करवाने की कार्यवाही की हुई है। जिससे बचने हेतु अप्रार्थी क्रम 3 ने उपखण्ड अधिकारी, अटरू पर राजनैतिक प्रभाव डालकर जारी निषेधाज्ञा को खारिज करवाकर प्रार्थियागण का दावा भी खारिज करा देने की शोहरत फैला रखी है। उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा राजीनामा के मुताबिक वाद का निर्णय न कर केवल स्थगन आदेश को खारिज किये जाने का आशय जाहिर कर दिनांक 10.03.2021 को केवल स्थगन आदेश के संबंध में निर्णय करने की मंशा जाहिर कर दी। ऐसी स्थिति में प्रार्थियागण को न्याय की उम्मीद उपखण्ड अधिकारी अटरू से नहीं रही है। अतः उक्त प्रकरण जिले के अन्य किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने के आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.17 12:41:13 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों [illegible] कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा जिस आराजी का बेचान किया गया है वह आराजी उसे [illegible] में मिली थी जो उसकी स्वअर्जित सम्पत्ति है इसलिये उक्त आराजी को बेचान करने का अप्रार्थी क्रम 1 को पूर्ण अधिकार है। प्रार्थियागण द्वारा मात्र कयासों के आधार पर न्यायालय में लम्बित प्रकरण में अप्रार्थी को न्याय से वंचित करने एवं प्रकरण को लंबा करने की गरज से यह

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ए. के प्रावधानों एवं सिद्धान्तों से असंगत निराधार होने से निरस्तनीय है। अतः निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में उपखण्ड अधिकारी अटरू ने अंकित किया है कि वादीगण विवादित आराजी को पैतृक सम्पत्ति सिद्ध किये बिना दोनों रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को सक्षम सिविल न्यायालयों से खारिज करवाये बिना बोनाफाईड क्रेता को पक्षकार बनाये बिना आराजी के सम्पूर्ण रकबे को विधि विरूद्ध राजीनामे के आधार पर विभाजित कराना चाहते हैं। इसीलिये पीठासीन अधिकारी पर तथ्यहीन व सारहीन आरोप लगाकर प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करवाना चाहते हैं, जिसमें इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थियागण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में विचाराधीन वाद संख्या 146/2017 एवं प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. संख्या 41/2017 बउनवान रानीबाई बनाम मूलचन्द वगैरह सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में अंतरित की जाती है। उभयपक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में वास्ते सुनवाई दिनांक 20.10.2022 को उपस्थित हों। उपखण्ड अधिकारी, बारां एवं उपखण्ड अधिकारी, अटरू को पृथक से अहकाम जारी हों तथा उपखण्ड अधिकारी, अटरू को उक्त पत्रावलियां दिनांक 20.10.2022 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में भिजवाने हेतु लिखा जावे।

1116-17
12/10/22

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.10.17 12:41:13 IST
Reason: SelfAttested